UPRN010036682026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1

कानपुर देहात

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–1441/2026

1– प्रदीप सिंह उम्र लगभग 19 वर्ष पुत्र विश्वनाथ निवासी ग्राम जरौली थाना डेरापुर जिला कानपुर देहात

–––––**प्रार्थी/अभियुक्त।**

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....**विपक्षी**

मु0 अ 0 सं0–41/2026
धारा–318(4),336(3),338,340(2),
111(3),61(2),308(6) बी0 एन 0 एस 0
व 66(सी), 66(डी) आई 0 टी0 एक्ट
थाना– रेउना जनपद कानपुर नगर

दिनांक ०४.०७.2026

प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप सिंह की तरफ से यह जमानत प्रार्थना पत्र मु0 अ 0 सं0–41/2026 धारा–318(4), 336(3), 338, 340(2), 111(3), 61(2), 308(6) बी0 एन 0 एस 0 व 66(सी), 66(डी) आई 0 टी0 एक्ट थाना– रेउना जनपद कानपुर नगर में प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 7.4.2026 को थानाध्यक्ष अनुज कुमार व उ 0 नि0 प्रेमकुमार चौकी प्रभारी कस्बा रेउना व अन्य पुलिसकर्मी सरकारी व प्राइवेट वाहन के थाना क्षेत्र में एन 0 सी0 आर 0 पी0 पोर्टल, समन्वय पोर्टल व प्रतिबिम्ब पोर्टल पर दर्ज साइबर अपराध सबंधी प्राप्त सूचनाएं व हॉट–स्पाट में हो रही साइबर अपराध वृद्धि की रोकथाम हेतु प्राप्त दिशा–निर्देशों के अनुपालन में साइबर अपराधियों की जानकारी, रोकथाम व गिरफतारी हेतु थाना हाजा से रवाना होकर रठिगांव पुल पर आए। मुखबिर खास ने आगे बढ़कर बताया कि साहब दहेली गिरसी मार्ग पर लाले बाबा मंदिर के आगे रोड

के किनारे बाग में पेड़ों की छाया में इस समय साइबर अपराध करने वाले काफी लोग मौजूद हैं जो आम जनता के लोगों से धोखाधड़ी करके साइबर अपराध कर रहे हैं तथा साइबर सिन्डीकेट के रूप में काम करते हैं। मुखबिर खास की इस सूचना पर विश्वास करके हम पुलिस वालों द्वारा रास्ते में आने जाने वाले लोगों से मकसद बताकर गवाही के लिए कहा गया परन्तु कोई तैयार नही हुआ। तब हम पुलिस वालों ने मय मुखबिर खास के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर यकीन किया कि किसी के पास अपराध से संबंधित कोई सामग्री आदि तो नहीं है। साइबर संबंधी अपराध करने वाले व्यक्तियों की गिरफतारी हेतु मय मुखबिर खास के टीम को आवश्यक दिशा निर्देश देकर मैं थानाध्यक्ष रेउना अपने समस्त पुलिस बल के साथ मय मुखबिर खास के बताए गए स्थान की ओर चल दिया जैसे ही हम पुलिस वाले लाले बाबा मंदिर से करीब 100 मीटर पहले पहुंचे तो मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि उसी में व आसपास के खेतों मे पेड़ों के नीचे साइबर अपराधी बैठे हुए हैं तथा मोबाइल से आम लोगों से ठगी करके साइबर अपराध कर रहे हैं। करीब पहुंचे तो देखा कुछ लोग अलग–अलग समूह बनाकर बैठे हैं जो फोन पर बात कर रहे हैं। तभी उनमें से एक व्यक्ति ने फोन पर बात करते हुए कहा कि मैं आवास विकास कार्यालय से बोल रहा हूं। आपने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था, आप अपनी आधार कार्ड संख्या बताओ तभी बात कर रहे व्यक्ति ने कहा कि आपका प्रधानमंत्री आवास पास हो गया है। आप पूरी जानकारी के लिए हमारे सीनियर अधिकारी से बात कर सकते हैं तथा पास में बैठा दूसरा व्यक्ति फोन पर बात करने लगा तथा कहने लगा कि आपके प्रधानमंत्री आवास के आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। आगे की प्रक्रिया के लिए आपका अपने प्रधानमंत्री आवास का पैसा निकालने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा जिसकी फीस 1100/– रूपये है जो आपको हमारे सरकारी खाते में भेजनी है वहीं पास के अन्य समूह में बैठा एक अन्य व्यक्ति मोबाइल फोन से बात कर रहा था कि मैं पुलिस का अधिकारी बोल रहा हूं तुम अपने मोबाइल के क्रोम पर अश्लील वीडियो देखते हो जिसका रिकार्ड मेरे पास है। और मैं अपना फोर्स लेकर अपने आफिस से तुम्हें गिरफतार करने लिए निकल चुका हूं यदि बचना चाहते हो तो 11000/– रूपये तुरंत भेज दो नहीं तो पकड़कर जेल भेज देंगें। तभी मुझ थानाध्यक्ष द्वारा मौजूद पुलिस बल को इशारा कर बाग को चारो तरफ से घेरकर एक बारगी दबिश देकर आवश्यक बल प्रयोग करते हुए मौके पर बाग में मौजूद कुछ व्यक्तियों को हम पुलिस वालों के द्वारा पकड़ लिया गया था। मौके पर पकड़े गए व्यक्तियों से बारी–बारी नाम पता पूछा गया तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम राहुल कुमार बताया तथा जामा

तलाशी से पैंट की बांयी जेब से एक आधार कार्ड मिला व पेंट की दाहिनी जेब से 100 रूपये कुल 150 रूपये बरामद हुए। तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम नीरज कुमार बताया, जामा तलाशी से एक अदद मोबाइल एक आधार कार्ड कुल 350/– रूपये नकद बरामद हुए, तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम प्रदीप सिंह बताया जिसकी जेब से एक अदद टच फोन तथा पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद आधार कार्ड तथा एक अदद ए0टी0एम0 बरामद हुआ। कुल 20 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया तथा तीसरे व्यक्ति जिसमें कथित प्रार्थी/अभियुक्त है ने अपना नाम प्रदीप सिंह बताया व जामा तलाशी से उसकी बांई जेब से एक अदद टच फोन तथा पहने पैंट की दाहिनी जेब से एक अदद आधार कार्ड तथाएक अदद ए०टी०एम० बरामद हुआ। पकड़े हुए व्यक्तियों में से कुछ लोगों ने एक स्वर में बताया कि हम लोग एक संगठित समूह बनाकर अपने–अपने मोबाइल फोन जिनमें फर्जी सिम डालकर बाहर के मोबाइल नं0 को आगे पीछ नबर बदलकर लगाते रहते हैं तथा जिसका भी नम्बर लग जाता है तो उन्हें पुलिस व अश्लील वीडियों देखने का डर दिखाकर उनसे अपने खाते या गूगल पे अथवा फोन पे पर पैसे डलवाकर आपस में हम लोग बांट लेते हैं। अभियुक्तगण द्वारा लोगों के साथ धोखा धड़ी कर डरा धमकाकर उनके साथ साइबर अपराध करके उनसे रूपये लेकर अपने खातों मे डलवाकर लाभ लिया जाता है। पकड़े गए व्यक्तियों के विरूद्व शिकायते दर्ज मिली। अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद मोबाइल फोन व आधार कार्ड को अलग–अलग प्लास्टिक के पारदर्शी डिब्बे में रखकर रसील सर्व मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया गया गया तथा बरामदशुदा जामा तलाशी के कुल 4480/– रूपये को अभियुक्त बार अलग–अलग चिटबंदी कर एक पारदर्शी डिब्बे में शील सर्व मोहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया।

प्रार्थी/अभियुक्त की तरफ से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त कथित घटना के समय अपने मामा के यहां ग्राम पुलन्दर गया थाऔर उसके एक दिन पहले अपनी बबैंक से ए०टी०एम० उठाकर लाया थाऔरअपने पर्स में डाले हुए था। प्रार्थी/अभियुक्त काइस घटनामें कोई रोल नहीं है। पुलिस ने जानबूझकर घटना में संलिप्त किया है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 8–4–2026 से जिला कारागार माती में निरूद्व है। प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा जमानत का प्रबल विरोध करते हुए कहा गया कि प्रार्थी/अभियुक्त का एक संगठित गिरोह है। अभियुक्त द्वारा अपने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त अपराध

कारित किया गया है तथा अपने मोबाइलों का प्रयोग करते हुए जनता के भोले–भाले लोगों को धोखा देकर व डरा धमकाकर उनसे अपने खाते में रूपये डलवाते हैं तथा मौके पर ही पुलिस पार्टी द्वारा 20 अभियुक्तगणों को गिरफतार कर बरामदगी 20 अदद मोबाइल फोन व 12 अदद फर्जी आधार कार्ड व 01 अदद ए0टी0एम0 कार्ड व कुल जामा तलाशी 4480/– रूपये अभियुक्त से बरामद किए गए हैं। जिसके पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं। अभियुक्त मौके से गिरफतार किया गया है। अतः जमानत निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

मैंने जमानत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उ0प्र0 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा प्रपत्रों का परिशीलन किया।।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि घटना दिनांक 7.4.2026 की है। फर्द बरामदगी में 20 मोबाइल फोन व 12 फर्जी आधार कार्ड व एक ए0टी0एम0 कार्ड व कुल 4480/– रूपये तथा मौके में गिरफतार 20 अभियुक्तगण किए गए। इसके क्रम में अ0सं0 41/2026 में अपराध पंजीकृत किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त के पास से मोबाइल की बरामदगी तथा धन के अदान–प्रदान के साक्ष्य प्राप्त किए गए हैं। सभी की मौके पर एक साथ गिरफतारी की गयी है।

बचाव पक्ष के द्वारा भी मौके से अभियुक्त की गिरफतारी स्वीकार की गयी है और उस स्थान पर जहां से संगठित अपराध किया जा रहा था, जहां से कि विवेचक के अनुसार साइबर क्राइम किया जा रहा था, उस स्थान पर उनके उपस्थित होने की बात बचाव पक्ष के द्वारा भी स्वीकार की गयी है तथा कोई स्पष्टीकरण इस संबंध में नहीं दिया गया है।

माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा सुस्थापि विधि है कि जमानत के स्तर पर गुणदोष तथा सम्पूर्ण साक्ष्य का अवलोकन आवश्यक तत्व नहीं है परन्तु इस स्तर पर केवल अपराध की गम्भीरता तथा अमरमणि त्रिपाठी बनाम राज्य द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए कारकों पर विचार आवश्यक बताए गए हैं।

उपरोक्त परिस्थितियों में यह दृष्टिगत रखते हुए कि प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा अपने सह अभियुक्तगण के साथ एक संगठित गिरोह बनाकर साइबर अपराध किए जाने तथा मौके से अभियुक्त की गिरफतारी की गयी है। अपराध गम्भीर प्रकृति का

है। अतः मामले के गुणदोष पर बिना कोई मत व्यक्ति किए प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्षतः प्रार्थी/अभियुक्त प्रदीप सिंह का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(रजत सिन्हा)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0–1
कानपुर देहात।
आई 0 डी0 यू0 पी0–6042